के. सी. पी. कर्मचारी संघ, मद्रास

बनाम

के. सी. पी. लिमिटेड, मद्रास का प्रबंधन

जनवरी 24, 1978

[वी. आर. कृष्ण अय्यर और जसवंत सिंह, न्यायमूर्तिगण]

बोनस भुगतान अधिनियम (अधिनियम 21), 1965, धारा 3, के परंतुक की प्रयोज्यता।

प्रबंधन-उत्तरदाता एक सार्वजनिक सीमित कंपनी है जो तीन व्यावसायिक उद्यमों अर्थात् चीनी का निर्माण, सीमेंट का निर्माण और भारी अभियांत्रिकी मशीनरी का निर्माण, तीन अलग-अलग स्थानों पर चला रही है। अभियांत्रिकी इकाई के श्रमिकों के संबंध में जिसे केंद्रीय कार्यशाला के रूप में जाना जाता है और जो वित्तीय रूप से खराब स्थिति में थी, प्रबंधन ने अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1964-65 और 1965-66 के लिए बोनस के भुगतान पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि केंद्रीय कार्यशाला एक अलग उपक्रम था जिस पर धारा 3 का परंतुक लागू होता था और परिणामस्वरूप मुख्य धारा 3 के अर्थ के भीतर एक एकल स्थापन के आधार पर बोनस का दावा अमान्य था। श्रम न्यायाधिकरण ने, हालांकि, दोनों वर्षों के लिए श्रमिकों के दावे को पुष्ट किया। जब विनिर्दिष्ट आदेश याचिका द्वारा उक्त दो पंचाटों को चुनौती दी गई, तो मद्रास उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने 1964-65 के लिए पंचाट को पुष्ट किया। प्रबंधन द्वारा आगे की अपील में, खंड पीठ ने 1964-65 और 1965-66 दोनों के पंचाटों को अपास्त कर दिया और न्यायाधिकरण को कुछ त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया।

विवाद को तीन महीने के भीतर त्वरित करने और पूरा करने के निर्देशों के साथ विशेष अनुमति द्वारा अपीलों को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. औद्योगिक कानून में, संविधान के भाग IV के परिप्रेक्ष्य में निर्वचन और अनुप्रयोग करने पर, कानून और तथ्यों पर तर्कसंगत संदेह का लाभ, यदि ऐसा संदेह हो, तो कमजोर वर्ग, श्रम को मिलना चाहिए। [610 ख-ग]

2. तात्कालिक मामले में : (क) धारा 3 का परंतुक आकर्षित होता है। पृथक तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते अतीत में और लेखांकन के प्रासंगिक वर्षों के दौरान भी तैयार किए गए और बनाए रखे गए हैं और (ख) उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण को केंद्रीय कार्यशाला के संबंध में खंड पीठ के निर्णय में उल्लिखित अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत वर्षों के लिए तुलन-पत्रों और लाभ और हानि खातों की पुनः जांच करने, उन्हें सुधारने का निर्देश देने में सही है। [609 छ-ज, 610 क]

एलॉय स्टील प्रोजेक्ट बनाम वर्कमेन, [1971] 3 एस.सी.आर. 620 (आधार अप्रासंगिक)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1970 की दीवानी अपील संख्या 2142-2143

मद्रास उच्च न्यायालय के रिट अपील संख्या 350/68 और 1969 के 76 में दिनांक 3-9-1970 के निर्णय और आदेश से अपील।

अपीलकर्ता के लिए *एम. के. राममूर्ति, एम. पी. धर* और *विनीत कुमार।*

उत्तरदाता संख्या 1 के लिए *वी. एम. तारकुंडे* और *नौनित लाल।*

उत्तरदाता संख्या 2 के लिए *बी. पी. सिंह।*

दीवानी अपील 2142 में उत्तरदाता संख्या 3 और दीवानी अपील 2143/70 में उत्तरदाता संख्या 3-6 के लिए *एकपक्षीय।*

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति- पुष्टि करने वाले निर्णयों को विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसलिए, इन दो अपीलों में जहां हम उच्च न्यायालय से असहमत नहीं हैं, केवल कारणों का एक संक्षिप्त कथन आवश्यक है।

विषयवस्तु प्रबंधन-उत्तरदाता और श्रमिक संघ के बीच वर्ष 1964-65 और 1965-66 के लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के परंतुक की प्रयोज्यता के आसपास घूमने वाला एक बोनस विवाद है।

तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण :

के. सी. पी. लिमिटेड, एक सार्वजनिक सीमित कंपनी, तीन व्यावसायिक उद्यमों अर्थात् चीनी का निर्माण, सीमेंट का निर्माण और भारी अभियांत्रिकी मशीनरी का निर्माण चलाती है। संबंधित कारखाने दक्षिण भारत में तीन अलग-अलग स्थानों पर हैं और तीन अलग-अलग इकाइयों में अलग-अलग निबंधनों पर श्रमिकों को नियोजित करते हैं। हम सीधे तौर पर तिरुवोट्टीयूर, मद्रास में केंद्रीय कार्यशाला के रूप में संचालित अभियांत्रिकी इकाई से संबंधित हैं। जब बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 लागू हुआ, तो इस इकाई के श्रमिकों ने, जो अन्य दो सहयोगी इकाइयों के विपरीत वित्तीय रूप से खराब स्थिति में थी, इस आधार पर बोनस की मांग की कि तीनों अलग-अलग उपक्रमों को एक संयुक्त स्थापन माना जाना चाहिए और कुल लाभ के आधार पर, बोनस की गणना अधिनियम में उपबंधित अनुसार की जानी चाहिए। उत्तरदाता ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि केंद्रीय कार्यशाला एक अलग उपक्रम था जिस पर धारा 3 का परंतुक लागू होता था और परिणामस्वरूप एक एकल स्थापन के आधार पर बोनस का दावा अमान्य रूप से अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। यद्यपि संबंधित इकाई प्रासंगिक वर्षों के लिए शायद घाटे का सौदा थी, (हम निश्चित रूप से नहीं जानते) न्यायाधिकरण ने दोनों वर्षों के लिए श्रमिकों के दावे को पुष्ट किया, लेकिन दोनों पंचाटों को उच्च न्यायालय में विनिर्दिष्ट आदेश याचिका द्वारा चुनौती दी गई। 1964-65 से संबंधित पंचाट को उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्ट किया गया था जिन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया कि चूंकि तीनों इकाइयां, यद्यपि भिन्न थीं और अलग-अलग स्थानों पर स्थित थीं, एक ही कंपनी के स्वामित्व में थीं और इसलिए, बिना किसी और बात के, धारा 3 के मुख्य भाग के अंतर्गत कवर की गई थीं और परंतुक खारिज हो गया। दो अन्य प्रश्न,

जिन्होंने न्यायाधिकरण का ध्यान आकर्षित किया था, उन पर बहुत कम विचार किया गया, निष्कर्ष, यदि कोई उन्हें ऐसा कह सकता है, श्रमिकों के प्रतिकूल थे। प्रबंधन ने उस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष उचित रूप से एक अपील दायर की जिसने वर्ष 1965-66 से संबंधित पंचाट के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को भी मंगाया और सुना। दोनों पंचाटों को अपास्त कर दिया गया, सारभूत बिंदुओं पर निष्कर्ष श्रमिकों के प्रतिकूल थे। हालांकि, त्रुटियों को सुधारने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा कुछ अनुवर्ती जांच की जानी थी, जिसके सीमित उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश दिया गया था। मामला उसी चरण में था और इस न्यायालय में दो अपीलें उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित हैं।

पहला बिंदु जिसने विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रभावित किया था, लेकिन खंड पीठ के समक्ष विफल रहा, इस न्यायालय के इस बिंदु पर सीधे निर्णय के आलोक में स्वीकृत रूप से कोई योग्यता नहीं रखता है।

श्री एम. के. राममूर्ति द्वारा दिया गया दूसरा तर्क कि केंद्रीय कार्यशाला का उस उपक्रम के संबंध में कोई अलग, व्यावहारिक तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाता नहीं था, और यह कि न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य का ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है, हमें प्रभावित नहीं करता है। न ही इस तर्क के तीसरे भाग में कोई दम है कि उत्तरदाता यह दर्शाने में विफल रहा है कि कार्यशाला को बोनस की गणना के उद्देश्य से सामान्य स्थापन के हिस्से के रूप में नहीं माना गया है। हम अपीलीय निर्णय से सहमत हैं कि परंतुक आकर्षित होता है। पृथक तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते अतीत में और लेखांकन के प्रासंगिक वर्षों के दौरान भी तैयार किए गए और बनाए रखे गए हैं, यद्यपि इस दलील में बहुत बल है कि उन्हें उचित रूप से बनाए नहीं रखा गया है। कुछ वस्तुएं जो बोनस को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं, शायद छोड़ दी गई हैं और उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण को केंद्रीय कार्यशाला के संबंध में खंड पीठ के निर्णय में उल्लिखित अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत

वर्षों के लिए तुलन-पत्रों और लाभ और हानि खातों की पुनः जांच करने, उन्हें सुधारने का निर्देश देने में सही है। हम *एलॉय स्टील प्रोजेक्ट बनाम वर्कमेन*[1] में दिए गए निर्णय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं लेकिन उस मामले के अनुपात को तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले पर लागू नहीं मानते हैं।

औद्योगिक कानून में, संविधान के भाग IV के परिप्रेक्ष्य में निर्वचन और अनुप्रयोग करने पर, कानून और तथ्यों पर तर्कसंगत संदेह का लाभ, यदि ऐसा संदेह हो, तो कमजोर वर्ग, श्रम को मिलना चाहिए। न्यायाधिकरण इस करुणामय दृष्टिकोण को अपनाते हुए मामले का निस्तारण करेगा लेकिन सिद्ध तथ्यों से आगे बढ़े बिना, अधिनियम और साक्ष्य द्वारा न्यायसंगत सीमा तक केंद्रीय कार्यशाला के तुलन-पत्रों और लाभ और हानि खातों को सुधारेगा और इस आदेश की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर विवाद को पूरा करेगा। अपीलें निरस्त की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

एस.आर. अपीलें निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

1 [1971] (3) एस.सी.आर. 629,